

मैं डॉ. सरोज सीवर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह मई, 2023 में राजकीय अवकाशों/अन्य अवकाशों में जालोर न्यायक्षेत्र में रिहात न्यायालयों के न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा, जमानत संबधित व अन्य आवश्यक कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत करती हूँ :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पद	मोबाईल नंबर	अवधि
1	2	3	4
1	श्री हरीश कुमार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांचौर, जिला-जालोर	9461007100	07-05-2023 (सम्पूर्ण जालोर जिला न्यायक्षेत्र हेतु)
2	श्रीमती हर्षिता राठौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट जालोर	94274 20231	13-05-2023, 14-05-2023 (जालोर जिला मुख्यालय व आहोर उपखण्ड हेतु)
3	श्रीमती चारण आशा अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, जालोर	8742032357	21-05-2023, 22-05-2023 (जालोर जिला मुख्यालय व आहोर उपखण्ड हेतु)
4	श्री अंकित दवे अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2, जालोर	9462700249	27-05-2023, 28-05-2023 (जालोर जिला मुख्यालय व आहोर उपखण्ड हेतु)
5	श्री पंकज सांखला न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीवाड़ा	9829659525	13-05-2023, 14-05-2023 (भीनमाल, रानीवाड़ा उपखण्ड हेतु)
6	श्री बृजपालदान चारण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल, जिला-जालोर	94142 40804	21-05-2023, 22-05-2023 (भीनमाल, रानीवाड़ा उपखण्ड हेतु)
7	सुश्री साधना सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल	96366 77594	27-05-2023, 28-05-2023 (भीनमाल, रानीवाड़ा उपखण्ड हेतु)
8	श्री योगेश कुमार न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांचौर	88242 31888	13-05-2023, 14-05-2023, 21-05-23 (सांचौर उपखण्ड हेतु)
9	श्री सिद्धार्थ भारद्वाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर	89598 55960	22-05-2023, 27-05-2023, 28-05-23 (सांचौर उपखण्ड हेतु)

- नोट:-1. उक्त दिवस में संबधित न्यायिक मजिस्ट्रेट बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।  
2. किसी भी अवकाश दिवस के तुरंत पूर्व/पश्चात् कार्य दिवस के दिन यदि किन्ही कारणों से अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में उस घोषित अवकाश दिवस हेतु ड्यूटी, उससे तुरंत पूर्व/पश्चात् अवकाश दिवस के लिये अधिकृत ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही निर्वहन की जावेगी।  
3. यदि किसी अभियुक्त को, जिसे विशेष अधिनियम (Sc/St Cases & Posco Act Cases) के तहत गिरफ्तार किया गया हो और मुख्यालय पर संबधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होने एवं उनके न्यायालय के लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश संवर्ग के न्यायाधीश) के भी उपलब्ध न होने की स्थिति में अवकाशकालीन ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अभियुक्त की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

( डॉ. सरोज सीवर )  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जालोर

क्रमांक :-

46/70 485

दिनांक :- 27.04.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जालोर को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि उपरोक्तानुसार अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई हो तो उसे निरस्त करने की कृपा करावे।
- श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम प्रकरण न्यायालय, जालोर।
- श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/जन जाति (अत्या.निवा.) अधिनियम, जालोर।
- श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर/भीनमाल/सांचौर।
- श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर वास्ते सूचनार्थ समस्त पुलिस थानाधिकारी।
- श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1/2 जालोर/भीनमाल/सांचौर।
- श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट जालोर/आहोर/भीनमाल/रानीवाड़ा/सांचौर।
- श्रीमान न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांचौर।
- श्रीमान उपाधीक्षक, जिला कारागृह, जालोर को वास्ते सूचित करने जालोर के कारागृह
- श्रीमान सहायक निदेशक, अभियोजन, जालोर।
- श्रीमान अध्यक्ष, वार संघ जालोर/आहोर/भीनमाल/रानीवाड़ा/सांचौर।
- कार्यालय पत्रावली।

( डॉ. सरोज सीवर )  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जालोर